

पार्थ सारथी सेन शर्मा
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ
फोन कार्या० 0522-2208737, 2207065
फैक्स नं०- 0522-2208769

E mail : md.mvvn12010@gmail.com

पत्र सं० 328 प्रनि/मविविनिलि/कैम्प

दिनांक 15/6/2010

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण-ग्रामीण),
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।

अवगत कराना है कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में किसानों द्वारा खरीफ फसल की बुआई आदि का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में फसलों की सिंचाई हेतु अत्यधिक पानी की आवश्यकता है। इस संबंध में आवश्यक है कि विद्युत दोष की वजह से राजकीय नलकूप/निजी नलकूप बन्द न रहे और सुचारू विद्युत आपूर्ति के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

मैं चाहूँगा कि आप निम्नलिखित बिन्दुओं पर गहन अनुश्रवण प्रारम्भ करें ताकि खरीफ की फसल के दौरान किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिल सके:-

1. राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जाय और नलकूप विभाग एवं जिला प्रशासन से इस बिन्दु पर समन्वय रखा जाय। यदि कहीं राजकीय नलकूप विद्युत दोष से खराब होते हैं तो उसको समय से चालू कराना सुनिश्चित किया जाय।
2. लघु डाल नहरों एवं पम्पों की विद्युत आपूर्ति निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय।
3. अवशेष राजकीय नलकूपों का इस माह के अन्त तक प्रत्येक दशा में ऊर्जीकरण सुनिश्चित किया जाय।
4. निजी नलकूपों का लक्ष्य के अनुसार ऊर्जीकरण सुनिश्चित किया जाय।
5. खराब परिवर्तकों को शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत बदला जाय।
6. रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में यथा सम्भव निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

मुझे आशा है कि आप इस पत्र के महत्व को देखते हुए और किसानों की सिंचाई के महत्व को देखते हुए इस परिपेक्ष्य पर आवश्यक कदम उठायेंगे।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।